17वीं लोक सभा के गठन के बाद पहले वर्ष के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों से संबंधित गतिविधियों का कालक्रम

संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है।

मई 2019 में सत्रहवीं लोक सभा के गठन के बाद से अब तक संसद के 3 सत्र हो चुके हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों/कार्यों और इस अवधि के दौरान आयोजित की गई अन्य गतिविधियों का कालानुक्रमिक विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इन सत्रों के दौरान संसद के दोनों सदनों में कुल 77 विधेयक (लोक सभा में 69 और राज्य सभा में 8) पेश किए गए, जिनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयकों सहित 57 विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए और अधिनियम बन गए हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची **अनुबंध-II** में देखी जा सकती है। दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों का क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-III** में देखा जा सकता है।

इस अवधि के दौरान 20 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए, जिनमें से 14 को संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों को **अनुबंध-II** में संलग्न दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची में तारांकित किया गया है। बजट सत्र 2020 के सत्रावसान के बाद 6 अध्यादेश जारी किए गए हैं। इन अध्यादेशों की सूची **अनुबंध-V** में देखी जा सकती है।

17वीं लोक सभा का पहला सत्र ऐतिहासिक था क्योंकि इस सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए जो नई लोक सभा के गठन के बाद एकल पहले/प्रभावी सत्र में एक रिकॉर्ड था।

पहले सत्र के दौरान निष्पादित किया गया दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ उपबंधों का निराकरण करना। यह जम्मू और कश्मीर में विशेषकर भारत के संविधान के उपबंधों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की अनुप्रयोज्यता के प्रत्यावर्तन के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार कानून और निष्पक्षता का शासन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सृजन के साथ पुनर्गठन किया गया है।

संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए 26 नवंबर, 2019 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था।

बजट सत्र, 2020 की समाप्ति पर कुल 46 विधेयक (14 लोक सभा में और 32 राज्य सभा में) लंबित हैं (विधेयकों की सूची **अनुबंध-IV** पर देखी जा सकती है)।

संसद के सत्रों से संबंधित कार्य के अलावा मंत्रालय द्वारा अन्य कार्य भी किए गए जैसे कि संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, युवा संसद का आयोजन, नेवा परियोजना का विकास, परामर्शदात्री समितियों का गठन इत्यादि (विवरण **अनुबंध-VI** पर दिया गया है)।

अनुबंध-I

घटनाओं का कालक्रम

तारीख	महत्वपूर्ण घटनाएं
17 जून, 2019	सत्रहवीं लोक सभा का पहला सत्र आरंभ हुआ।
20 जून, 2019	राज्य सभा का 249वां सत्र आरंभ हुआ।
17 जून, 2019	डॉ. वीरेन्द कुमार को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पूर्वाह्न 10.30 बजे लोक सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई।
17-18 जून, 2019	नए सदस्यों ने शपथ ली/प्रतिज्ञान किया।
19 जून, 2019	श्री ओम बिरला को लोक सभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
20 जून, 2019	राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया।
24-25 जून, 2019	लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ। (प्रस्तावक- श्री प्रताप सारंगी, अनुमोदक - डॉ. हीना गावित)
25 जून, 2019	माननीय प्रधान मंत्री ने लोक सभा में बहस का जवाब दिया और धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। (धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने सदन में सभी जन प्रतिनिधियों से राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने और इस प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी और बेहतरी के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने छोटे किसानों, खेत मजदूरों और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने और सभी किसानों को पीएम किसान समृद्धि योजना के दायरे में लाने की सरकार द्वारा की गई पहलों, छात्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सैनिकों और पुलिस बल के बालकों को भी शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार करने, 7 महानगरों, 127 नगर पालिकाओं और 9000 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, महिला सशक्तिकरण आदि का उल्लेख किया।)
24 जून, 2019	राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ। (प्रस्तावक- श्री जगत प्रकाश नड्डा, अनुमोदक - श्रीमती संपतियां उईके)
26 जून, 2019	माननीय प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में बहस का जवाब दिया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। (धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते समय माननीय प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सबका साथ सबका विकास, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एनआरसी आयुष्मान योजना के कार्यान्वयन, 112 महत्वाकांक्षी जिलों की दैनिक आधार पर निगरानी से उनके विकास में तेजी लाने के लिए पहचान करने, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास पर फोकस, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के विकास इत्यादि के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर दिया।)
5 जुलाई, 2019	केंद्रीय बजट, 2019-2020 प्रस्तुत किया गया।
10 जुलाई, 2019	वित्त मंत्री ने लोक सभा में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब दिया।
12 जुलाई, 2019	वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब दिया।
18 जुलाई, 2019	लोक सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया
23 जुलाई, 2019	राज्य सभा द्वारा वित्त विधेयक को लौटाया गया
5 अगस्त, 2019	अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंधों और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों का निराकरण। गृह मंत्री ने राज्य सभा में सांविधिक संकल्प तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन पर बहस का जवाब दिया जहां राज्य सभा द्वारा विधेयको को स्वीकृत/पारित किया गया।

	[बहस का उत्तर देते समय, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर की भयावह स्थिति की मूल जड़ है। अनुच्छेद 370 के कारण लोकतंत्र जम्मू और कश्मीर में कभी भी मजबूत नहीं हो पाया। इस अनुच्छेद के कारण भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई और यह उच्चतम सीमा तक पहुंच गया। गरीबी की जड़े गहरी हो गई हैं। घाटी में गांवों की हालत आजादी के 70 वर्ष बाद भी दयनीय है। अनुच्छेद 370 विकास के मार्ग में बाधक है क्योंकि बालक शिक्षा और उचित स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित हैं। अनुच्छेद 370 ने देश के दूसरे प्रदेशों के लोगों को वहां जमीन खरीदने से रोक रखा है। वहां कोई पीपीपी मॉडल नहीं हो सकता। इसी कारण वहां कोई बड़ा होटल नहीं है, कोई निजी अस्पताल नहीं है और न ही वहां बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते है। पर्यटन भी अपेक्षित सीमा तक विकसित नहीं किया जा सका है। हाल ही में, माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुए थे और 40 हजार पंच/सरपंच वहां काम कर रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि जम्मू और कश्मीर के लोग लोकतंत्र चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से कयामत नहीं आ जाएगी, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, बल्कि यह जम्मू और कश्मीर के समग्र विकास के लिए आवश्यक होगा। बाकी देश की भांति जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने में सरकार का समर्थन करें।]
6 अगस्त, 2019	अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंधों और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों का निराकरण। गृह मंत्री ने लोक सभा में सांविधिक संकल्प तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन पर बहस का जवाब दिया जहां लोक सभा द्वारा विधेयको को स्वीकृत/पारित किया गया। [बहस का उत्तर देते समय माननीय गृह मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया कि 70 साल से इस देश में हर एक आदमी दावा करता रहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आश्चर्य की बात है कि हम में से किसी ने भी यह दावा उत्तर प्रदेश या बंगाल या तमिलनाडु आदि के संबंध में नहीं किया। यह इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 ने हमारे नागरिकों और विदेश में रहने वाले लोगों के मन में जम्मू और कश्मीर की वास्तविक स्थिति के बारे में संदेह को बढ़ा दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परिस्थितियां जैसे ही अनुमति देंगी जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य के रूप में बहाल किया जाएगा। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्ताव का संबंध है, इसे उसी दिन समाप्त कर दिया गया था जब पाकिस्तानी सेना ने साल 1965 में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की थी। अत: यह सदन भारतीय क्षेत्र के भीतर कोई भी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रखता है। जहाँ तक कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए तर्क का संबंध है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी से अपनी ताकत हासिल की है, उनका मत था कि जम्मू और कश्मीर में अलगाव की भावना और आतंकवाद की जड़ें अनुच्छेद 370 में हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य का अपना मंत्रिमंडल होगा और यह उनके द्वारा

	चलाया जाएगा। सरकार का कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है क्योंकि न केवल मुस्लिम बल्कि अन्य समुदाय जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख आदि भी उस राज्य में रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 1989 से, जम्मू-कश्मीर में लगभग 41500 लोग मारे जा चुके हैं, उन्होंने सदन से पूछा कि क्या हम घिसे-पिटे रास्ते पर चलना चाहते हैं या हमें स्थिति को शांत करने के लिए अन्य नए रास्ते तलाशने चाहिए। इस निरस्तीकरण के माध्यम से यह सभा एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रही है। इस अनुच्छेद के कारण, भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में 9 संवैधानिक सुधार और 106 अधिनियम लागू नहीं कर पाई है। राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कोई अधिनियम नहीं है। इसमें अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, बहु-विकलांगता अधिनियम, माता-पिता भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जैसे अनेक विधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। पूरे देश में परिसीमन का आयोजन किया गया था लेकिन इसे जम्मू-कश्मीर में आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। आदिवासियों और दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य के क़ानून का हिस्सा नहीं है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन वहां लागू नहीं होते। ये सभी प्रावधान इस अनुच्छेद के निरसन के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। उद्योग लगाए जाएंगे। वहां शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें गरीबी से मुक्ति मिलेगी। उनकी भूमि का मूल्य बढ़ेगा, इसलिए मैं सदन से इस अनुच्छेद के बारे में नए सिरे से सोचने और घाटी, लद्दाख और जम्मू जैसे तीन क्षेत्रों के लोगों को विकास के अवसर प्रदान करने का अनुरोध करना चाहता हूं। उन्हें भारत की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका दें।]
26 नवंबर, 2019	भारतीय संविधान को अंगीकार करने के 70 वर्ष पूरे होने पर संविधान दिवस का आयोजन। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन पर जोर दिया। इस अवसर पर, यह कहते हुए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और इस तरह ऐसी परिस्थितियां बनाएं जो अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मानवता की भावना को विकसित करना भी नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है, जिसमें सभी के प्रति करुणा के साथ सेवा शामिल है। माननीय उपराष्ट्रपति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि 5 मूल कर्तव्यों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है और यदि हम राष्ट्रीय उद्देश्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो देश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा और एक अधिक परिपक्व लोकतंत्र बन जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री ने लोगों को न केवल अपने अधिकारों के बारे में बल्कि अपने कर्तव्यों के बारे में भी अधिक जागरूक होने के लिए प्रेरित किया और

	उन्हें हमेशा यह सोचना चाहिए कि वे संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करके देश को कैसे मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने सांसदों से जनता के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कहा कि संविधान ने विकास के पथ पर देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी भावना से हमें संविधान दिवस को कर्तव्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान ने एक ओर हमें मौलिक अधिकारों के रूप में पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियां दी हैं और दूसरी ओर, इसने हमें मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से अनुशासित किया है और संतुलन बनाए रखा है। इससे पूर्व केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य संविधान की नींव हैं और संविधान का उद्देश्य राष्ट्र का समग्र विकास करना है। 26 नवंबर, 2019 को इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कक्ष, संसद भवन में माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
9 दिसंबर, 2019	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। [बहस का जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि यह विधेयक उन लाखों शरणार्थियों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए है जो उत्पीड़न के शिकार हैं और एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। यह विधेयक न तो अनुच्छेद 14 उल्लंघन करता है और न ही अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन करता है। जब भी नागरिकता के बारे में कोई हस्तक्षेप होता है, तो यह एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, इसलिए यह विधेयक उन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहां आए हैं। यह विधेयक उन्हें नागरिकता देने के लिए लाया गया है। मुसलमान वहां अल्पसंख्यक नहीं हैं। उनके संविधान मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देते हैं। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है। विधेयक का इरादा सकारात्मक दिशा में है उन सभी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। सरकार सभी को सुरक्षा, समानता और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दस्तावेज को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।]
11 दिसंबर, 2019	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। [राज्य सभा में बहस का जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि देश को बेहतर बनाने के लिए, देश की समस्याओं को हल करने के लिए आई है। पचास साल पहले यह विधेयक पेश किया गया होता, तो आज स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। देश के विभाजन के बाद पैदा हुई परिस्थितियों का समाधान करने के लिए यह विधेयक लाया जाना चाहिए था। देश का विभाजन किया गया था धर्म के आधार पर और यह सबसे बड़ी गलती थी,

	जिसके कारण इस विधेयक को सदन के सामने लाना पड़ा। 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में नेहरू-लियाकत अली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे दिल्ली समझौते के रूप में भी जाना जाता है। इस समझौते में, दोनों देशों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाएगा। भारत ने वादा निभाया, लेकिन हमारे तीन पड़ोसी देशों ने अपना वादा नहीं निभाया। वे इस देश में अपने धर्म, सम्मान, परिवारों और परिवार की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए यहां आए थे। इस विधेयक इसलिए है कि उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। देशों के चयन के संबंध में, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि यह विधेयक भारतीय भूमि की सीमाओं से सटे तीन देशों के केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए लाया गया है, जो शरणार्थी के रूप में आए हैं, अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इस विधेयक में एक मुसलमान को शामिल न करने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन अल्पसंख्यकों को शरण देगा, जिन्होंने इन तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। उन देशों का धर्म इस्लाम है और वहां मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। आम तौर पर इस्लामी देशों में इस्लाम के अनुयायियों के खिलाफ धार्मिक उत्पीड़न की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसमें केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल किए गए हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि इन तीनों देशों के तमाम अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं उन्हें इस विधेयक के तहत शामिल किया गया है। इसलिए इस विधेयक को उचित वर्गीकरण के आधार पर कानून बनाने के इस संसद के अधिकार के तहत लाया गया है। इसमें एक बोधगम्य अंतर किया गया है, जिसके पीछे एक मानदंड भी है। बोधगम्य अंतर और युक्तियुक्त वर्गीकरण के आधार पर यह विधेयक अनुच्छेद 14 और अन्य सभी अनुच्छेदों का कहीं भी उल्लंघन नहीं करता है। इस कानून में दोनों आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह कानून अदालत में भी मान्य होगा। यह नागरिकता देने का विधेयक है, नागरिकता लेने का नहीं। यह विधेयक भारत के मुसलमानों की नागरिकता को प्रभावित नहीं करेगा। जो भारत के नागरिक हैं वे इस विधेयक से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होंगे।]
31 जनवरी, 2020	राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया।
1 फरवरी, 2020	वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया गया।
3 फरवरी, 2020	लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ (प्रस्तावक - श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और अनुमोदक श्री राम कृपाल यादव)
6 फरवरी, 2020	माननीय प्रधान मंत्री ने लोक सभा में बहस का जवाब दिया और धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। (अपने उत्तर के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने दिल्ली में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पूरा होने और मिशन मोड पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने सिंचाई से लेकर उद्योग, सामाजिक से ग्रामीण बुनियादी ढांचे तक और बंदरगाह अवसंरचनात्मक ढांचे हेतु सड़कों के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न

	पहलों का भी उल्लेख किया।)
4 फरवरी, 2020	राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ (प्रस्तावक - श्री भुपेन्द्र यादव और अनुमोदक डॉ सुधांशू त्रिवेदी)
6 फरवरी, 2020	माननीय प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में बहस का जवाब दिया और धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
11 फरवरी, 2020	वित्त मंत्री ने लोक सभा में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब दिया।
11 फरवरी, 2020	वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब दिया।
23 मार्च, 2020	वित्त विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
23 मार्च, 2020	वित्त विधेयक राज्य सभा द्वारा लौटाया गया।

अनुबंध-II

17वीं लोक सभा के पहले एक वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1.	*** विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019**
2.	*** जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019**
3.	*** होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019**
4.	*** केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019**
5.	*** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019**
6.	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
7.	*** आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019**
8.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
9.	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
10.	*** नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019**
11.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
12.	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
13.	मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
14.	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
15.	*** अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019**
16.	*** मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019**
17.	*** कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019**
18.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
19.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
20.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
21.	विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019
22.	मजदूरी संहिता, 2019
23.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2019
24.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
25.	मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2019
26.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019
27.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
28.	सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
29.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
30.	सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019
31.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
32.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
33.	चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019
34.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
35.	*** इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019**
36.	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
37.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का आमेलन) विधेयक, 2019
38.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति मान्यता) विधेयक, 2019
39.	*** कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019**

40.	पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
41.	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
42.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
43.	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
44.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
45.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
46.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020
47.	*** खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020**
48.	*** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020**
49.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
50.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
51.	विनियोग विधेयक, 2020
52.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020
53.	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
54.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020
55.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020
56.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020
57.	वित्त विधेयक, 2020

* इस अवधि के दौरान 20 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे जिनमें से 14 को संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों को ऊपर तारांकित किया गया है।

अनुबंध-III

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों का क्षेत्र-वार विवरण

(i) स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार:

इस अवधि के दौरान, इस क्षेत्र से संबंधित चार महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 और दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 दोनों सदनों द्वारा पारित कए गए।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो आयुर्विज्ञान शिक्षा, आयुर्विज्ञान प्रोफेसन से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन हेतु एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं आयोग को सलाह देने और सिफारिश करने के लिए एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के गठन का उपबंध करता है।

(ii) सामाजिक और लैंगिक न्याय सुधार

इस अवधि के दौरान, भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 जो तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत को अमान्य घोषित करता है, मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 एक उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करता है और उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करता है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019 निकोटीन की अत्यधिक नशे की लत की प्रकृति पर विचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ऐसी ही अन्य चीजों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का निषेध करता है। यह विधान सतत विकास के लक्ष्यों, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सफल होगा।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता के पात्र बनाता है और उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन का हकदार बनाता है।

(iii) राष्ट्रीय/आंतरिक सुरक्षा

इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि और मानवाधिकारों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए **राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019**, **विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019** और **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019** को पारित किया गया।

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 कानून के उल्लंघन की प्रभावी रोकथाम करने के अलावा आग्नेयास्त्रों से संबंधित या उनका प्रयोग करके किए गए अपराधों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(iv) श्रम सुधार

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को आमेलित करने के पश्चात **मजदूरी संहिता विधेयक, 2019** के पारण के माध्यम से श्रम कानूनों के अनुपालन को आसान बनाने के लिए और उसके माध्यम से सभी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के दायरे को बढ़ाते हुए और उद्यमों को समान प्रोत्साहन और उनकी स्थापना की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में और ऐसा करके रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करते हुए एक बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार अधिनियमित किया गया।

(v) परिवहन क्षेत्र संबंधी सुधार

इस क्षेत्र से संबंधित अधिनियमित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधान हैं (i) **मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2019** अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और जुर्माने को बढ़ाने और मुसीबत में मदद करने वालों के संरक्षण का उपबंध करने के अलावा सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए; (ii) **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019** प्रमुख विमानपत्तनों, जिनमें प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन से अधिक यात्री आते हों, की परिभाषा में संशोधन के अलावा विमानपत्तनों पर अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रणाली को अपनाने का अधिकार देने के लिए।

(vi) प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी सुधार

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुछ अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से सरकार ने निवासियों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का समाधान करने के लिए **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति मान्यता) विधेयक, 2019** अधिनियमित किया था।

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 उपबंध करता है कि एस.पी.जी. अब प्रधानमंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। यह किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को भी उनको आबंटित आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों सहित उनके द्वारा प्रधानमंत्री के पद को छोड़े जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले और दस वर्षों अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक सीटों के आरक्षण को जारी रखकर संविधान के संस्थापकों द्वारा कल्पना किए गए रूप में समावेशी चरित्र को बनाए रखने के लिए।

(vii) आर्थिक क्षेत्र/कारोबार करने में सुविधा संबंधी उपाय

इस अवधि के दौरान, देश में आर्थिक भावना का समाधान करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण विधान पारित किए गए।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, विकास को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, पुंजी बाजार में स्थिरता लाएगा और पुंजी बाजार में धन के अंतर्वाह में बढ़ोतरी करेगा।

चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019 चिटफंड क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुगम बनाएगा और उसके माध्यम से अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की बृहतर वित्तीय पहुंच को आसान बनाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पूर्व कानून को निरस्त करके और उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को पुनर्जीवित करने; अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता नुकसान की रोकथाम करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों के कठोर परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" के लिए अतिरिक्त प्रावधान के अलावा उत्पादों के प्रत्याहार, प्रतिदाय और वापसी का प्रवर्तन करने सहित वर्गीय कार्रवाई शुरू करने के लिए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं के लिए एक बाजार विनियमित और विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना करेगा।

नई दिल्ली माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019, **माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019** और **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019** वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंधन प्रणाली को क्रमश: बढ़ावा देने और मजबूत करने का उपबंध करते हैं और इस प्रकार कारोबार करने में आसानी और निवेशकों के बीच विश्वास बहाली को आसान बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा में "न्यास अथवा संस्था" को शामिल करने की मांग करता है ताकि उन उद्यमियों की सीमा में विस्तार किया जा सके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित कर सकते हैं।

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 व्यवसाय के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशियों के अलावा अन्य अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक तंत्र उपलब्ध कराता है।

खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के मामले में एक नए पट्टेदार को दो साल की अवधि के लिए सभी वैध अधिकार, अनुमोदन, मंजूरी, लाइसेंस आदि के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने का उपबंध करता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रयोजन, यदि कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन में जाती है, दिवाला को रोकने के लिए कॉर्पोरेट देनदारों को लास्ट माइल फंडिंग के पुनर्भुगतान में सर्वोच्च प्राथमिकता देना, वित्तीय लेनदारों के कुछ वर्गों द्वारा संहिता के संभावित दुरुपयोग का निवारण करना, कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमा चलाने और कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए कॉरपोरेट देनदार और सफल समाधान आवेदक की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के विरूद्ध प्रतिरक्षा उपलब्ध कराना और कॉरपोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरना है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 न केवल सरकार के लिए समय पर राजस्व पैदा करके लंबित कर विवादों के समाधान का प्रस्ताव करता है बल्कि इस तरह के विवाद समाधान का विकल्प चुनकर करदाता भी बचाए गए समय, ऊर्जा और संसाधनों का अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करने में सक्षम होंगे।

(viii) शिक्षा सुधार

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 का उद्देश्य संस्कृत के तीन मानद विश्वविद्यालयों अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को संस्कृत और शास्त्री शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करना है। इससे बेहतर संकाय मिलने, विदेशी छात्रों, संस्कृत के विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विदेशी संकाय को आकर्षित करने और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मदद मिलेगी।

अनुबंध-IV

बजट सत्र, 2020 की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

लोक सभा

I. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

1. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
2. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020
3. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020
4. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
5. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

II. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

6. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
7. समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2019
8. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019
9. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

III. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

10. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020
11. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2020

IV. संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक

12. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

V. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

13. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां संहिता, 2019
14. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019

राज्य सभा

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
2. बांध संरक्षा विधेयक, 2019
3. वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020
4. आयुर्वेद अध्यापन और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020
5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विधि संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020
6. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020

II. लोक सभा द्वारा यथा पारित और प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक

7. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

III. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

8. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
9. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
10. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
11. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
12. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020

IV. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

13. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
14. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
15. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
16. बीज विधेयक, 2004
17. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
18. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
19. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
20. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
21. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
22. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
23. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
24. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
25. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
26. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
27. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
28. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति विधेयक, 2018
29. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019
30. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
31. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
32. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

अनुबंध-V

बजट सत्र, 2020 के पश्चात प्रख्यापित किए गए अध्यादेशों का विवरण

क्र.सं.	**अध्यादेश का शीर्षक**	**प्रख्यापन की तारीख**
1	कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2)	31.03.2020
2	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 3)	07.04.2020
3	मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 4)	09.04.2020
4	महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 5)	22.04.2020
5	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 6)	24.04.2020
6	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 7)	24.04.2020

अनुबंध-VI

मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

युवा संसद (ऑफलाइन)

युवा संसद प्रतियोगिता की इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही चार योजनाएं हैं:

1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता
2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कुल 271 विद्यालयों/कॉलेजों और कुल 14200 विद्यार्थियों ने उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

क्र.सं.	योजना	उपलब्धियां
1	दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 53वें संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 54वें संस्करण के अभिविन्यास पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को सफलता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 55वें संस्करण की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई।
2	केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 31वें संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 32वें संस्करण के अभिविन्यास पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को सफलता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 33वें संस्करण की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई।
3	जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 22वें संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 23वें संस्करण के अभिविन्यास पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को सफलता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 24वें संस्करण की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई।
4	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 15वें संस्करण के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन और और प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

सभी प्रतिभागियों के लाभार्थ राज्य सभा टीवी की मदद से युवा संसद पर एक वीडियो टुटोरिअल (प्रशिक्षण सामग्री) भी तैयार किया गया।

युवा संसद (ऑनलाइन)

मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे को अब तक अनछुए वर्गों और देश के कौने-कौने तक विस्तारित करने के लिए एन.आई.सी. की तकनीकी सहायता से युवा संसद का वेब पोर्टल विकसित किया गया था। पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय

प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

योजना में दो शाखाओं की कल्पना की गई है:- कक्षा IX से कक्षा XII के विद्यार्थियों के लिए किशोर सभा और स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए तरूण सभा। संस्थाओं का पंजीकरण 31 जुलाई, 2020 तक चालू है और वे 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान यंवा संसदों का आयोजन कर सकेंगे। अभी तक देशभर के विभिन्न विद्यालयों से 4370 (किशोर सभा 3912 + तरूण सभा 458) पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और इनमें से मंत्रालय द्वारा 1260 (किशोर सभा 1307 + तरूण सभा 70) पंजीकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं।

संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न संसदीय विषयों का सिंहावलोकन और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसदीय कार्य से जुड़े अधिकारियों को एक मंच प्रदान करना है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2019 को सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

अणुशक्ति भवन, मुंबई में दिनांक 04.08.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

परामर्शदात्री समितियां

मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का गठन करता है तथा सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान उनकी बैठकें आयोजित करने संबंधी व्यवस्था करता है। 17वीं लोक सभा के गठन के पश्चात विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई। विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की 26 बैठकें आयोजित की गई हैं।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

नेवा विधानमंडलों का डिजटलीकरण करने और उनके कामकाज को कागज-रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। नेवा एक सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो उन्हें उनके हस्तधारित उपकरणों/टैबलेट्स में उनके द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना उपलब्ध कराकर सदन के विविध कार्य को संभालने के लिए और विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को इस पर कुशलता से कार्य करने के लिए सशक्त बनाती है। नेवा उपकरण अज्ञेयवादी ऐप है जो डेस्क्टॉप, लैपटॉप, आईपैड और स्मार्ट फोन पर चलती है। यह एप्लिकेशन सभी विधानमंडलों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। यह एप्लिकेशन संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, पटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति प्रतिवेदनों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सारांश, अनंतिम कैलेंडर, मंत्रालयों के रोटेशन, समाचार और प्रेस विज्ञप्तियों तथा संदर्भ सामग्री के अलावा नोटिसों, सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों के सूचनार्थ समय-समय पर विधानमंडलों द्वारा जारी किए जा रहे समाचारों जैसी सभी संगत सूचना उपलब्ध कराती है।

नेवा समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराती है। इस एप्लिकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भी उपलब्ध है। लोक सभा/राज्य सभा टीवी, दूरदर्शन का सीधा प्रसारण राज्य विधानमंडलों के संबंध में समान सुविधा के साथ पहले ही सक्षम किया जा चुका गया है। नेवा विधानमंडलों के कामकाज को नागरिकों के करीब लाकर लोकतंत्र को उनके करीब लाएगी। विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों तक नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करके, नेवा नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक अनुबंध का अवसर प्रदान करता है और ऐसा करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है।

- परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन दिया जा चुका है।

- नेवा की सार्वजनिक वेबाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों विकसित की जा चुकी हैं और यह प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में शुरू किए जाने के लिए तैयार है।

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाएं/वीडियो कॉनफ्रेंस संचालित की गई:-

    - चरण-I की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - 6
    - चरण-II की संख्या (3 दिवसीय कार्यशाला) - 12
    - चरण-III की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - 2
    - वीडियो कॉनफ्रेंसों की संख्या - 2

- बिहार विधान परिषद जुलाई, 2019 में मानसून सत्र के दौरान ऑनलाइन प्रश्न स्वीकार करने वाला देश का पहला सदन बन चुका है।

- विधानमंडलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अरूणाचल प्रदेश विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी संचालित किए गए हैं।

- संसदीय कार्य मंत्रालय पंजाब विधानसभा, बिहार विधानसभा, मेघालय विधानसभा और ओडिशा विधानसभा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर चुका है।

- अन्य राज्यों के विधानमंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है।